तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.01.2020	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में दिनांक 07.04.2015 को प्रार्थी माधु मु0 रामचन्द्र धाकड़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 दि0प्र0सं0 पर बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि मृतक वादी रामचन्द्र के कोई पुत्र–पुत्री नहीं है, उसके एकमात्र वारिस प्रार्थी होकर उसका गोदपुत्र है। मृतक वादी की मृत्यू 10 माह पूर्व हो चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि मृतक रामचन्द्र द्वारा चलाये जा रहे उक्त वाद के बारे में उसे जानकारी नहीं थी इसलिए कायम मुकाम बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ जिसे कण्डोन किया जाकर प्रार्थी को वादी बनाया जावें। हमनें प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बाद अवलोकन एवं मनन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र को अन्दर अवधि शुमार किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 दि0प्र0सं0 का विनिश्चय किया जाने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि प्रार्थी मृतक वादी रामचन्द्र का विधिक उत्तराधिकारी है अथवा नहीं। प्रार्थी द्वारा स्वयं को मृतक रामचन्द्र का गोदपुत्र बताया गया है परन्तु प्रार्थी द्वारा न तो इस बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है न ही उसके द्वारा प्रार्थना पत्र में यह वर्णित किया गया है कि प्रार्थी को मौखिक रूप से या जाति, रस्मों रिवाज से मृतक वादी द्वारा गोद लिया गया है। आदेशिका का अवलोकन किया जाने पर दिनांक 24.02.2016 की आदेशिका में यह अंकित पाया गया कि श्री रामचन्द्र को फौत हुए दो ढाई वर्ष हो गये है। इसकी पत्नी एवं लड़का लड़की नहीं है। उक्त अंकन के नीचे भूरी देवी सरपंच, ग्राम पंचायत श्रीनगर के मय सील हस्ताक्षर अंकित है। उक्त आदेशिका के आधार पर प्रथम दृष्टया यह माना जा सकता है कि मृतक रामचन्द्र के कोई पुत्र पुत्री अथवा पत्नी नहीं है, परन्तु केवल प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी का मृतक रामचन्द्र का गोदपुत्र होना सिद्ध नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं है। अतएव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ओदश 22 नियम 3 दि0प्र0सं0 खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र खारिज होने से चूंकि प्रकरण में कोई वादी शेष नहीं रहा है अतः वाद पत्र का उपशमन हो चुका है। अतएव वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(त्रिलोक चन्द मीना)** **उपखण्ड अधिकारी** **माण्डलगढ़**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2020.01.28 18:40:49 IST
Reason: SelfAttested